

INDIA
PARTNER

Dabur
GROUP



अवीवा ग्रुप टर्म लाइफ



AVIVA
| Life Insurance |

अवीवा ग्रुप टर्म लाइफ एक नॉन-लिंकड नॉन पार्टिसिपेटिंग बीमा योजना।

नियोक्ता या एफिनिटी समूह किसी भी तरह से हमेशा अपने कर्मचारियों/सदस्यों और उनके प्रियजनों के लिए एक पूर्ण जीवन चाहते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा व्यक्ति की प्रमुख यिंताओं में से एक होती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कर्मचारियों/सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा अवीवा ग्रुप टर्म लाइफ प्रस्तुत करती है, एक ऐसी योजना जो व्यक्तियों के समूह को जीवन कवर प्रदान करती है। कवर किए गए सदस्य की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, मृत्यु राशि का भुगतान किया जाता है।

अवीवा ग्रुप टर्म लाइफ एक वार्षिक नवीकरणीय समूह बीमा योजना है जो नियोक्ता—कर्मचारी और एफिनिटी समूह को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए बनाई गई है (कर्मचारियों की जमा संबंध बीमा योजना के बदले में योजनाएँ)।

इस योजना का लक्ष्य:

- सदस्य की असामियक मौत के कारण उत्पन्न परिवार के सदस्यों /आश्रितों को वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए।
- न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए— व्यक्तिगत सदस्य के बीमा राशि के लिए कोई चिकित्सा परीक्षण आवश्यक नहीं है, जिसे निःशुल्क कवर सीमा* कहा जाता है।

*निःशुल्क कवर सीमा जीवन बीमा का अधिकतम मूल्य है जिसे किसी भी चिकित्सा परीक्षण के बिना पेश किया जा सकता है। यह सीमा समूह—समूह में भिन्न—भिन्न होती है।

मास्टर पॉलिसीधारक कौन है?

एक नियोक्ता कर्मचारी समूह के मामले में मास्टर पॉलिसीधारक नियोक्ता है और अन्य समूहों के लिए यह सदस्य के साथ इकाई होगी जो बीमा खरीदने के उद्देश्य से पूरी तरह से एक साथ नहीं आती थी।

इस उत्पाद के तहत उपलब्ध लाभ विकल्प क्या हैं?

अवीवा ग्रुप टर्म लाइफ नीचे दिए गए अनुसार तीन लाभ विकल्प प्रदान करता है। मास्टर पॉलिसीधारक पॉलिसी की शुरुआत में इनमें से किसी एक का चयन कर सकता है। कर्मचारियों के बदले योजनाओं के लिए योजनाबद्ध बीमा योजना, 1976 केवल लाभ विकल्प ए: शुद्ध पॉलिसी कवर एकमुश्त लाभ मास्टर पॉलिसी धारक के लिए उपलब्ध होगा।

विकल्प ए:

शुद्ध अवधि कवर — एकमुश्त लाभ

इस योजना के तहत बीमाकृत सदस्य की मृत्यु पर, इस विकल्प के तहत कवर बीमा राशि को एकमुश्त भुगतान के रूप में भुगतान किया जाएगा।

विकल्प बी:

शुद्ध अवधि कवर — नियमित मासिक आय लाभ (आरएमआई)

यह विकल्प बीमाकृत सदस्य की मृत्यु पर नियमित मासिक आय प्रदान करता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, इस विकल्प के तहत कवर की गई बीमा राशि मास्टर पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई भुगतान अवधि के लिए नियमित मासिक भुगतान के रूप में भुगतान की जाएगी।

- यह विकल्प नियमित मासिक भुगतान के रूप में जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- मास्टर पॉलिसीधारक को पूरी योजना के लिए पॉलिसी शुरू होने के समय 3, 5, 10 या 15 साल की पेआउट अवधि चुननी होगी।
- पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान मास्टर पॉलिसी धारक द्वारा विकल्प में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और आरएमआई टर्म का उपयोग किया जा सकता है।
- भुगतान अवधि के दौरान, आरएमआई बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति को देय होगा और सालाना 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए यदि आरएमआई मौत के समय ₹10,000 है, तो आरएमआई की राशि दूसरे वर्ष में ₹10,500 तीसरे वर्ष में ₹11,025 और पेआउट अवधि के दौरान बढ़ जाएगी।

आधार बीमा राशि

प्रारंभिक नियमित मासिक आय लाभ =

(पॉलिसी की शुरुआत में 12 × पेआउट अवधि)

विकल्प सी:

टर्मिनल बीमारी लाभ के साथ शुद्ध अवधि कवर

यह विकल्प टर्मिनल बीमारी के कवरेज के साथ मृत्यु लाभ प्रदान करता है। यदि बीमित व्यक्ति को टर्मिनल बीमारी का निदान किया जाता है, तो बेस आश्वासन के 50 प्रतिशत या ₹1 करोड़ के बराबर लाभ, जो भी कम हो, उसे त्वरित और भुगतान किया जाएगा।

टर्मिनल बीमारी लाभ के भुगतान के बाद बीमाकृत सदस्य की मृत्यु के मामले में, की शेष राशि देय है।

टर्मिनल बीमारी से पहले इस योजना के तहत बीमाकृत सदस्य की मौत पर, इस विकल्प के तहत कवर किए गए आधार बीमा राशि को एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा।

यदि पॉलिसी अवधि के भीतर टीआई के बाद मृत्यु नहीं होती है तो सदस्य अगले नवीनीकरण के लिए पात्र होगा बशर्ते वह नवीनीकरण के समय कार्य खंड पर सक्रिय रूप से संतुष्ट हो।

सक्रिय रूप से कार्य खंड पर इसका मतलब है कि अगर कर्मचारी उस दिन काम पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है, तो पॉलिसी प्रभावी हो जाती है जब तक कि कर्मचारी काम पर वापस नहीं आ जाता है।

ऋणदाता उधारकर्ता योजना:

यदि किसी भी विनियमित संस्थाओं को ऋणदाता—उधारकर्ता श्रेणी के तहत मास्टर पॉलिसी जारी की जाती है, तो सदस्य के पास बीमाकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण जारी करने का विकल्प होगा कि कवरेज अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, दावे की राशि, यदि मास्टर पॉलिसीधारक के क्रेडिट खाता विवरण और शेष राशि के तहत कोई भी देय है, तो मास्टर पॉलिसी के तहत देय कोई भी सदस्य के नामांकित/कानूनी वारिस या कानूनी प्रतिनिधियों (लागू होने पर) को देय होगा।

वर्तमान में विनियमन संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है जिसे आईआरडीएआई द्वारा समय—समय पर संशोधित किया जा सकता है।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुसूचित बैंकों को विनियमित किया (सहकारी बैंकों सहित)।
2. एनबीएफसी के आरबीआई से पंजीकरण का प्रमाणपत्र है,
3. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने आवास वित्त कंपनियों को विनियमित किया
4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) और इसकी राज्य दिशात्मक एजेंसियां और
5. आरबीआई द्वारा नियंत्रित छोटे वित्त बैंक

कवरेज अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर, अन्य संस्थाओं (उपर्युक्त विनियमित संस्थाओं के अलावा) के लिए, दावा राशि सदस्य के नामांकित/कानूनी वारिस या कानूनी प्रतिनिधियों (लागू होने पर) को देय होगी।

इस योजना के तहत उपलब्ध अतिरिक्त लाभ विकल्प क्या हैं?

पति/पत्नी कवर:

विकल्प के तहत एक शुद्ध अवधि कवर एकमुश्त लाभ, नियोक्ता—कर्मचारी समूह का प्राथमिक सदस्य अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके अतिरिक्त स्वैच्छिक लाभ के रूप में पति/पत्नी के कवर का विकल्प चुन सकता है। यह विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब प्राथमिक सदस्य को कवर किया जा रहा हो। यह जीवन में से किसी एक के पहले मर जाता है, दूसरी जिंदगी के लिए जीवन बीमा कवर उसकी मृत्यु/निकास तक या अगली नवीनीकरण तिथि तक जारी रहेगा। पति/पत्नी के कवर के लिए प्रीमियम में कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

स्वैच्छिक कवर:

यदि योजना के अंतर्गत शामिल कोई भी सदस्य कवरेज की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तो वह बोर्ड अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन, योजना नियमों के अनुसार प्रदान किए गए सामान्य कवरेज के अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कवर खरीद सकता है।

उत्पाद पात्रता	
प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन)	न्यूनतम: 18 साल अधिकतम: 69 साल नियोक्ता — कर्मचारी योजनाओं के लिए गैर नियोक्ता और कर्मचारी योजनाओं के लिए 59 साल
परिपक्वता आयु (पिछला जन्मदिन)	अधिकतम: 70 साल नियोक्ता — कर्मचारी योजनाओं के लिए गैर नियोक्ता और कर्मचारी योजनाओं के लिए 60 साल
न्यूनतम समूह आकार	20 नियोक्ता — कर्मचारी योजनाओं के लिए 50 गैर नियोक्ता और कर्मचारी योजनाओं के लिए कर्मचारियों के बदले योजनाओं के लिए जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 एक योजना में 20 सदस्य या कर्मचारी के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार, जो भी लागू हो
सुनिश्चित अवधि	न्यूनतम बीमा राशि प्रति सदस्य प्रति योजना ₹5000 ₹20,00,000
पॉलिसी टर्म	वार्षिक नवीकरणीय समूह जीवन बीमा योजना अधिकतम प्रीमियम पर कोई सीमा नहीं। यह योजना के तहत कुल बीमा राशि पर निर्भर करेगा।
प्रीमियम	

उच्च बीमा राशि के लिए कोई छूट है?

निम्नलिखित ग्रिड के अनुसार उच्च बीमा राशि पर प्रीमियम छूट की अनुमति है:

योजना स्तर पर कुल बीमा राशि	₹ 1000 प्रति बीमा राशि में वार्षिक प्रीमियम पर छूट
₹2500 करोड़ और उससे अधिक लेकिन ₹3000 करोड़ से कम	0.008
₹3000 करोड़ और उससे अधिक लेकिन ₹3500 करोड़ से कम	0.010
₹3500 करोड़ और इससे अधिक	0.012

लाइफ कवर प्रीमियम का भुगतान किस आवृत्ति पर किया जा सकता है?

प्रीमियम का वार्षिक, अर्धवार्षिक, ट्रैमासिक या मासिक आवृत्तियों में भुगतान किया जा सकता है।

वार्षिक आवृत्ति के अलावा, किश्त प्रीमियम की गणना नीचे दी जाएगी जैसा कि नीचे दिया गया है:

अर्धवार्षिक प्रीमियम = वार्षिक प्रीमियम* 0.5108

ट्रैमासिक प्रीमियम = वार्षिक प्रीमियम* 0.2591

मासिक प्रीमियम = वार्षिक प्रीमियम* 0.0871

प्रीमियम देय तिथि से अर्ध वार्षिक और ट्रैमासिक और मासिक मोड के लिए 15 दिन की अनुग्रह प्रीमियम की अनुमति होगी। वार्षिक मोड के लिए कोई अनुग्रह अवधि नहीं होगी। यदि अनुग्रह अवधि के दौरान मृत्यु होती है, तो देय लाभ का भुगतान भुगतान न किए गए प्रीमियम की कटौती के बाद की बीमा राशि होगी। हालांकि, अगर मास्टर पॉलिसी धारक (MPH) द्वारा प्रीमियम एकत्र किया जाता है और किसी कारण से यह छूटकी बीमा अवधि तक नहीं पहुंचता है और यदि बीमाकृत सदस्य साबित कर सकता है कि उसने देय प्रीमियम का भुगतान किया है और MPH से सही रसीद प्राप्त की है, ऐसे सदस्य के लिए बीमा कवर को बलपूर्वक माना जाएगा।

पुनरुद्धार अवधि पुनरुद्धार अवधि क्या है?

पुनरुद्धार पहले अवैतनिक प्रीमियम की तारीख से 180 दिनों तक उपलब्ध है लेकिन पॉलिसी अवधि के भीतर, पुनरुद्धार निम्नलिखित है:

- ए) मास्टर पॉलिसी धारक पुनरुद्धार और पुनरुद्धार की प्रस्तावित तारीख के लिए कंपनी लिखित अनुरोध देता है।
- बी) कंपनी नीति को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत है, जिसके लिए मास्टर पॉलिसी धारक कंपनी द्वारा बोर्ड की अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार कंपनी द्वारा की गई जानकारी और दस्तावेजीकरण के लिए किसी भी अनुरोध का पालन करेगा।
- सी) मास्टर पॉलिसी धारक प्रीमियम की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पुनरुद्धार की प्रस्तावित तारीख तक सभी बकाया प्रीमियम का भुगतान करता है।

डी) पॉलिसी का पुनरुद्धार केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिस पर कंपनी ने पॉलिसी के पुनरुत्थान की पुष्टि करने के लिए लिखित अनुमोदन जारी किया है।

ई) मास्टर पॉलिसीधारक समझता है और सहमति देता है कि कंपनी को नीति को पुनर्जीवित करने या इसे उसी शर्तों पर पुनर्जीवित करने के लिए कोई दायित्व नहीं है और पुनरुद्धार समय-समय पर लागू होने वाली कंपनी की अंडरराइटिंग आवश्यकताओं के अधीन है। बोर्ड अनुमोदित नीति अनुमोदित।

अन्य लाभ जैसे सरैंडर, परिपक्वता देय क्या हैं?

परिपक्वता लाभ

योजना एक शुद्ध सुरक्षा योजना है। इसलिए पॉलिसी समाप्ति पर देय परिपक्वता लाभ नहीं है।

सरैंडर लाभ

योजना एक शुद्ध सुरक्षा योजना है। इसलिए योजना समाप्त होने के मामले में कोई समर्पण मूल्य देय नहीं है।

हालांकि, यदि मास्टर पॉलिसी धारक द्वारा समूह नीति को सरैंडर किया जाता है, तो बीमार्कर्ता इस कवरेज को जारी रखने के लिए इस तरह के सरैंडर पर समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को एक विकल्प देगा और बीमार्कर्ता ऐसे कवरेज तक ऐसे सदस्यों की सेवा के लिए उत्तरदायी रहेगा जब तक यह समाप्त/ बर्खास्त हो जाता है।

फ्रीलुक अवधि:

मास्टर पॉलिसीधारक और सदस्य (केवल गैर नियोक्ता—कर्मचारी योजनाओं के मामले में) पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि मास्टर पॉलिसीधारक/ सदस्य फ्रीलुक अवधि के दौरान पॉलिसी वापस लौटाता है, तो कंपनी आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, यदि कोई हो, और चिकित्सा और स्टाम्प ड्यूटी पर खर्च किए गए खर्चों का कटौती करने के बाद रिटर्न की तारीख पर प्रीमियम वापस कर देगी।

नामांकन और असाइनमेंट:

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नामांकन की अनुमति है।

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार असाइनमेंट की अनुमति है।

बहिष्कार क्या हैं?

गैर नियोक्ता—कर्मचारी योजनाओं के लिए, यदि बीमाकृत सदस्य आत्महत्या के कारण मर जाता है, चाहे योजना में शामिल होने की तिथि से 12 महीने के भीतर मानसिक रूप से स्वरथ या पागल हो,

बीमाकृत सदस्य के संबंध में भुगतान किए गए 80 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा और कोई अन्य बीमाकृत लाभ देय नहीं होगा।

नियोक्ता—कर्मचारी योजनाओं के लिए कोई आत्महत्या बहिष्कार नहीं होगा।

दावे की प्रक्रिया क्या है?

मास्टर पॉलिसीधारक को हमें मृत्यु प्रमाणपत्र और दावा फॉर्म प्रदान करने की आवश्यकता है। कंपनी हालांकि दावा मूल्यांकन उद्देश्य के लिए और दस्तावेजों के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कर फायदे क्या हैं?

पॉलिसी के तहत कर लाभ मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार होंगे। कर कानून समय—समय पर बदल सकते हैं।

परिभाषाएँ:

चिकित्सा अधिकारी: चिकित्सा अधिकारी वह व्यक्ति है जो भारत के किसी भी राज्य या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय चिकित्सा परिषद या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रथापित होम्योपैथी के लिए एक वैध पंजीकरण रखता है और इस प्रकार दवा का अभ्यास करने के हकदार है अपने अधिकार क्षेत्र में और अपने लाइसेंस के दायरे और क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य कर रहा है। चिकित्सा अधिकारी में सदस्य के पति/पत्नी, पिता (सौतेले पिता सहित), मां (सौतेली मां सहित), पुत्र (सौतेले बेटे सहित), बेटी के पति, भाई (सौतेले भाई सहित) और बहन (सौतेली बहन समेत) या स्वयं बीमाकृत शामिल नहीं होगा।

टर्मिनल बीमारी: टर्मिनल बीमारी को एक उन्नत या तेजी से प्रगतिशील और गैर-सुधार योग्य चिकित्सा स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस बीमारी के इलाज में विशेषज्ञता रखने वाले दो (2) स्वतंत्र चिकित्सा अधिकारी की राय में प्रमाणित करता है कि टर्मिनल बीमारी के निदान की तारीख के 6 महीने के भीतर बीमाकृत जीवन की बीमारी से मृत्यु हो सकती है। कंपनी/सदस्य टर्मिनल बीमारी के एक स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

अग्रिम जानकारी

स्वीकृति:

हम जोखिम की स्वीकृति और प्रीमियम की प्राप्ति तक उत्तरदायी नहीं होंगे।

अवीवा के बारे में

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड, डाबर इंवेस्टमेंट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होलिंग्स लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम है, जो यूके स्थित बीमा समूह है, जिसका भारत के साथ संबंध 1834 तक जाता है। अवीवा जीवन बीमा चुनकर आपको एक के प्रबंधन अनुभव से लाभ होता है दुनिया का सबसे पुराना बीमा समूह, 1696 से पहले के इतिहास के साथ। आज, अवीवा समूह के 16 देशों में 31 मिलियन ग्राहक हैं (मार्च 2015 तक)।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 और 45, समय समय पर संशोधित

धारा 41

(1) कोई भी व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं देगा, किसी भी छूट देय कमीशन का पूरा या हिस्सा पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम का कोई भी छूट, और न ही किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी छूट को स्वीकार किया जाएगा, इस तरह के छूट को छोड़कर प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या टेबल के अनुसार अनुमति दी जा सकती है बीमाकर्ता:

बशर्ते कि जीवन बीमा पॉलिसी की पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एजेंट द्वारा स्वीकृति दी गई हो अपने जीवन पर खुद को समझा नहीं जाएगा, इस उपधारा के समय प्रीमियम के छूट के स्वीकृति के लिए यदि इस तरह की स्वीकृति के समय बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित एक पूर्ण बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति डिफॉल्ट रूप से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 45

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद गलतफहमी के आधार पर नीति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800 103 7766 (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737
फैक्स नं.: 0124- 2571210



टाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोन: +91 0124-2709000, फैक्स: +91 0124-2571210

वेबसाइट: www.avivaindia.com

ई-मेल: customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDA of India Reg. No. 122
CIN No. U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधान: IRDA की सार्वजनिक घोषणा:

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अवीवा ग्रुप टर्म लाइफ नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना है। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसके उपयोग करती है। कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू जो बदल सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। हेल्पलाइन नं.

1800-180-22-66/1800-103-77-66, UIN: 122N115V01, Advt No.: Jul 01/17.